प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश.

दांडिक अपील संख्या-548/2004

कुलेश्वर ध्रुव

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

अपीलार्थी की ओर से - विद्वान अधिवक्ता, कु. मीनू बनर्जी।

राज्य की ओर से - पैनल अधिवक्ता, श्री पराग कोटेचा।

मौखिक आदेश

(29–06–2006 को घोषित)

अपीलार्थी कुलेश्वर को स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा–20 (बी) (ii) (आ) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया था (जिसे आगे '1985 का अधिनियम' कहा जाएगा) और श्री आर.एस. शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. अधिनियम), बस्तर, जगदलपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक–52/2003 में दिनांक 27–02–2004 के निर्णय द्वारा 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास और 15,000/–

रूपये के जुर्माने का दंडादेश दिया गया तथा जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया।

2. अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 27–11–2003 को यह गुप्त सूचना मिलने पर कि अपीलार्थी और हेमंत मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित गांजा ले जा रहे हैं, उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1, थाना प्रभारी, फरसगांव, उक्त सूचना दर्ज करने के बाद, गवाहों के साथ घटनास्थल पर गए और अपीलार्थी कुलेश्वर को रोका, जो पंजीकरण संख्या सी.जी.– 05–8198 वाली हीरो होंडा मोटरसाइकिल चला रहा था। एक अन्य व्यक्ति हेमंत, जो पीछे बैठा था, अपनी गोद में 4 किलो 500 ग्राम गांजा ले जा रहा था। मोटरसाइकिल के पीछे 5 किलो प्रतिबंधित गांजा भी बांध कर रखा गया था। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1 ने एक उर्वरक बैग में निहित प्रतिबंधित गांजा को जब्त कर लिया जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि यह अपीलार्थी कुलेश्वर के कब्जे में है, साथ ही हीरो होंडा मोटरसाइकिल पंजीकरण संख्या सी.जी.– 05–8198 को जब्ती पत्रक प्रदर्श पी – 14 के तहत जब्त किया गया। राजकुमार अ.सा.– 4, जो मौके पर मौजूद थे, ने वजन किया और बैग के अंदर प्रतिबंधित गांजा 5 किलोग्राम पाया। उपरोक्त मात्रा के गांजे से 50 ग्राम प्रत्येक के दो नमूने लिए गए और उन्हें सील कर दिया गया और गांजे की शेष मात्रा को भी सील कर दिया गया। मुद्रा सील पंचनामा प्रदर्श पी–17 के तहत तैयार किया गया था जिसमें ब्रास मुद्रा की छाप मे “थाना म.प्र.” उल्लेखित था। हालाँकि, इसका नमूना छाप सील पंचनामा प्रदर्श पी–17 पर नहीं लगाया गया था। दिनांक 27–11–2003 को, 5 किलोग्राम युक्त एक सफेद उर्वरक बैग सीलबंद हालत में गांजा और 50 ग्राम के दो सीलबंद नमूने के पैकेट, जो कथित तौर पर उक्त मात्रा में गांजा से लिए गए थे, और होंडा मोटरसाइकिल, जिसका पंजीकरण क्रमांक सी.जी.–05–8198 है, को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए प्रधान आरक्षक/मालखाना मोहर्रिर जयदेव भोई को सौंप दिया गया, जिसे ऊपर उल्लिखित मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–32 (सी) में दर्ज किया गया। दिनांक 03–12–2003 को पुलिस अधीक्षक, बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन प्रदर्श पी–30 के तहत, गांजे के एक नमूने के पैकेट को गेंद लाल साहू आरक्षक क्रमांक 80 के माध्यम से रासायनिक विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया, जो दिनांक 06–12–2003 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में प्राप्त हुआ। दिनांक 13–01–2004 की प्रतिवेदन प्रदर्श पी–31 के तहत, यह राय दी गई कि नमूने के पैकेट में गांजा था। प्रतिवेदन में, विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने नमूने के पैकेट पर "थाना, फरसगांव, मध्य प्रदेश" अंकित सील पाई गई। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी पर मुकदमा चलाया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. अपीलार्थी ने अपराध करना अस्वीकार किया, अपनी बेगुनाही का दावा किया और बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। अभियोजन पक्ष ने 4 गवाहों का परीक्षण किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को कंडिका–1 में उल्लिखित अनुसार दोषी ठहराया और दंडादेश दिया।

4. अपीलार्थी की विद्वान अधिवक्ता कु. मीनू बनर्जी ने दो आधारों पर आक्षेपित निर्णय को चुनौती दिया है। पहला यह कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा विश्लेषित नमूने के साथ छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा नमूने के पैकेट पर मिली मुहर का निशान पंचनामा प्र.पी–17 में वर्णित मुहर के निशान से मेल नहीं खाता था। यह बताया गया कि मालखाना रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि में यह नहीं दर्शाया गया है कि किस तारीख को नमूना पैकेट मालखाने से आरक्षक गेंद लाल साहू संख्या 80 को सौंपने के लिए निकाला गया था। यह भी तर्क दिया गया कि आरक्षक गेंद लाल साहू संख्या 80, जिन्हें दिनांक 03–12–2003 को नमूना पैकेट सौंपा गया था, की जाँच नहीं की गई और उनके द्वारा नमूना पैकेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला तक पहुँचने में हुई देरी के बारे में भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–32 (सी) स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एक सफेद उर्वरक बैग जिसमें 5 किलो 50 ग्राम गांजा सीलबंद अवस्था में था, को भी सुरक्षित रखने के लिए मालखाने में जमा किया गया था, साथ ही 50 ग्राम गांजे के दो नमूना पैकेट भी सीलबंद अवस्था में रखे गए थे। चूँकि अपीलार्थी के कब्जे से जब्त किए गए गांजे की मात्रा कथित तौर पर 5 किलो ग्राम बताई गई थी, इसलिए यह बेहद संदिग्ध था कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने अपीलार्थी से जब्त किए गए कथित गांजे की उपरोक्त मात्रा से लिए गए थे। यह भी तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि कथित प्रतिबंधित गांजे का वजन 5 किलो 6 ग्राम था। यह अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे में था क्योंकि उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1 ने स्वीकार किया था कि मोटरसाइकिल चलाने वाला अपीलार्थी उसका मालिक नहीं था और यह पीछे बैठा हेमंत था जो अपनी गोद में प्रतिबंधित गांजे से भरा एक बैग लिए हुए था और एक अन्य बैग मोटरसाइकिल के पीछे बंधा हुआ था। अंत में, यह तर्क दिया गया कि उप–निरीक्षक श्री अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1 द्वारा 1985 के अधिनियम की धारा–55 का पालन न करना अपीलार्थी की दोषसिद्धि को कानूनन गलत ठहराता है। उपरोक्त तर्कों के समर्थन में अवतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2002) 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 419, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जोधपुर बनाम मुरलीधर सोनी एवं अन्य (2004) (2)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

ए.एन.जे. (एस.सी.) और त्रिनाथ गौडो बनाम राज्य (1996) (1) क्राइम 607 में रिपोर्ट किए गए मामले का हवाला दिया गया।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा ने आक्षेपित निर्णय के समर्थन में तर्क दिया कि नमूना पैकेटों को सील करने के संबंध में 1985 के अधिनियम के प्रावधानों का सारतः अनुपालन किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे गए सीलबंद नमूना पैकेट में छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है।

6. प्रतिद्वंदी तर्कों को सुनने के बाद, मैंने विशेष प्रकरण क्र. 52/2003 के अभिलेख का अवलोकन किया है और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया है। अधिनियम 1985 की धारा–20 के अंतर्गत किसी अपराध के अभियोजन में, अभियोजन पक्ष का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी संदेह के यह स्थापित करे कि अपीलार्थी से कथित रूप से जब्त किए गए गांजे की मात्रा से लिए गए नमूने सीलबंद थे और सील का एक नमूना छाप तैयार किया गया था। अभियोजन पक्ष के लिए यह भी स्थापित करना आवश्यक है कि मालखाने में नमूने सौंपे जाने के समय, पुलिस थाने के थाना प्रभारी ने नमूने के पैकेटों पर और प्रतिबंधित गांजे की शेष मात्रा पर भी अपनी मुहर लगाई थी। दूसरे शब्दों में, अभियोजन पक्ष को बिना किसी संदेह के यह स्थापित करना होगा कि नमूने के पैकेटों पर लगाई गई सील न केवल जब्ती के समय, बल्कि मालखाने में सौंपे जाने के समय भी तब तक बरकरार रही जब तक कि नमूने के पैकेट रासायनिक विश्लेषण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं पहुंचा दिए गए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7. उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1 द्वारा तैयार की गई सील के नमूना छाप प्रदर्श पी–17 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि नमूनों को सील करने के लिए प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना छाप पंचनामा पर नहीं लगाया गया था। हालाँकि, पंचनामा प्रदर्श पी–17 में दिए गए नमूना पैकेटों को सील करने के लिए प्रयुक्त सील के विवरण से पता चलता है कि वह पीतल की सील थी जिस पर "थाना, मध्य प्रदेश" लिखा था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी–31 के अवलोकन से पता चलता है कि नमूना पैकेटों पर मिली सील का छाप विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा "थाना, फरसगांव, मध्य प्रदेश" के रूप में बनाया गया था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रतिबंधित गांजा और नमूना पैकेटों को सील करते समय नमूना पैकेटों पर लगी सील पर

"फरसगांव" शब्द मौजूद नहीं थे, जिससे इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि नमूना पैकेट पर लगी सील के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

8. मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–32(सी) के अवलोकन से मद संख्या 1 में यह पता चलता है कि एक सफेद उर्वरक बैग में 5 किलो गांजा सीलबंद अवस्था में मालखाने में जमा किया गया था और मद संख्या (ii) में यह भी दर्शाया गया है कि 50 ग्राम गांजे के दो नमूना पैकेट, जो कथित तौर पर जब्त किए गए गांजे की उपरोक्त मात्रा से लिए गए थे, भी जमा किए गए थे। यदि अपीलार्थी के कब्जे से कथित तौर पर जब्त किए गए 5 किलो गांजे से 50 ग्राम गांजे के दो नमूना पैकेट लिये गए होते, तो सफेद उर्वरक बैग में 4 किलो और 900 ग्राम गांजा होता। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी–32(सी) में दिए गए विवरण से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सौंपे गए नमूना पैकेट, अपीलार्थी के कब्जे से कथित तौर पर जब्त किए गए गांजे की मात्रा को नहीं दर्शाते। उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी, अ.सा.–1 ने अपनी गवाही में प्रयुक्त मुहर के विवरण के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि मालखाने में सौंपे जाने से पहले उन्होंने नमूने पर थाना फरसगांव के थाना प्रभारी की मुहर लगाई थी। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम, 1985 की धारा–55 का पूर्णतः पालन नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मालखाना रजिस्टर की प्रविष्टियों में वह तारीख भी नहीं दिखाई गई है जिस दिन नमूने के पैकेट मालखाने से निकाले गए थे और उन्हें विधि विज्ञान प्रयोगशाला ले जाने के लिए आरक्षक गेंद लाल साहू क्रमांक 80 को सौंपा गया था। अभियोजन पक्ष ने आरक्षक गेंद लाल साहू क्रमांक 80 का परीक्षण नही कराया था, जिसने नमूना पैकेट को पुलिस अधीक्षक, बस्तर जगदलपुर के ज्ञापन प्रदर्श पी–30 के साथ प्रदर्श लिया था। ज्ञापन प्रदर्श पी–30 के अनुसार, आरक्षक गेंद लाल साहू ने दिनांक 03–12–2003 को नमूना पैकेट लिया और दिनांक 06–12–2003 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर पहुँचा। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाए कि इस अवधि के दौरान नमूना पैकेट कहाँ और किसके कब्जे में और किस स्थिति में रखा गया था। उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों में इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने के पैकेट के साथ छेड़छाड़ की गई थी और केवल इसी आधार पर, अधिनियम 1985 की धारा–20 (बी) (ii) (आ) के तहत अपीलार्थी की दोषसिद्धि को अपास्त किया जा सकता है।

10. 1985 के अधिनियम की धारा 20(बी) (ii) (आ) के अंतर्गत अपराध का मुख्य घटक कब्जे में रखना है। अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना है कि अपीलार्थी के भानपूर्ण कब्जे से प्रतिबंधित गांजा जब्त किया गया था। उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–1 और प्रधान आरक्षक शेखर लाल कश्यप अ.सा.–3 ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थी मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि पीछे बैठा हेमंत एक बैग पकड़े हुए था और एक और बैग मोटरसाइकिल के पीछे वाले कैरियर में बंधा हुआ था। राजकुमार अ.सा.–4 ने कहा है कि दूसरा बैग मोटरसाइकिल की डिक्की के अंदर रखा हुआ था। आक्षेपित निर्णय के कंडिका–53 से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलार्थी कुलेश्वर मोटरसाइकिल का मालिक नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि हेमंत पर अधिनियम 1985 की धारा–20(बी) (ii) (आ) के तहत अपराध के लिए अलग से मुकदमा चलाया गया था। यह समझ से परे है कि उप–निरीक्षक अरविंद कुमार द्विवेदी अ.सा.–। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि अपीलार्थी के पास मोटरसाइकिल के पीछे बंधे 5 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा उसके भानपूर्ण कब्जे मे था। मालिक न होने के कारण, अपीलार्थी केवल मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि हेमंत ने एक बैग अपनी गोद में रखा था जबकि दूसरा बैग उसके पीछे बंधा हुआ था। ऊपर वर्णित तथ्यों और परिस्थितियों में, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि यह हेमंत था न कि अपीलार्थी, जिसके पास जब्ती के समय उर्वरक का बैग भानपूर्ण कब्जे मे था, जो पीछे बंधा हुआ था और जिसमें 5 किलोग्राम प्रतिबंधित गांजा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर समग्र रूप से विचार करने और प्रतिद्वन्द्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, निम्नलिखित बिंदु प्रकट होते हैं:

(1) इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जाँचे गए नमूने के पैकेट की सील से छेड़छाड़ की गई थी।

(2) कथित रूप से जब्त किए गए प्रतिबंधित गांजे पर अपीलार्थी का भानपूर्ण कब्ज़ा संदेह से परे स्थापित नहीं होता है।

(3) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अधिनियम 1985 की धारा–55 का पालन न करने से अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधिक रूप से अनुचित हो जाती है।

12. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिनियम 1985 की धारा–20 (ख)(ii) (आ) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि और उसके अंतर्गत दिया गया दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है।

13. परिणामस्वरूप, यह अपील स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा अधिनियम 1985 की धारा–20 (बी) (ii) (आ) के अंतर्गत अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दिया गया दंडादेश अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा। यदि जुर्माना अदा किया गया है, तो वह अपीलार्थी को वापस कर दिया जाए।

सही/–

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

अनुवादक पुष्यमित्र मलतियार अधिवक्ता